संख्या-219/2020/756/22-2-2018-17(72)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 जून, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ गंठा पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17581/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-17-11-2016) दिनांक-15-05-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ गंठा पुत्र श्री मोहनलाल, ग्राम-ब्रहमपुरा, थाना-प्रेमनगर, जनपद बरेली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनाँक 25.02.2000 को सायं 04.00 बजे लगभग बबिता नामक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-963/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बरेली के आदेश दिनांक 05.04.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.06.2017 तक 17 वर्ष, 03 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 00 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनाँक 25.02.2000 को सायं 04.00 बजे लगभग बंदी ने बबिता नामक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 40 वर्ष 02 माह लगभग है शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने, बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बंदी के शातिर किस्म का अपराधी होने, स्थानीय जनता एवं पीड़ित के परिवार/गवाह में भय/आतंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्याप्त होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर ऊर्फ गंठा पुत्र मोहनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिशंकर उर्फ गंठा (बन्दी संख्या-37935) पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-219/2020/756(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-219/2020/756/22-2-2018-17(72)/2017

दिनांक 26 जून, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर उर्फ गंठा (बन्दी संख्या--37935) पुत्र श्री मोहनलाल, ग्राम-ब्रहमपुरा, थाना-प्रेमनगर, जनपद बरेली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनाँक 25.02.2000 को सायं 04.00 बजे लगभग बबिता नामक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-963/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बरेली के आदेश दिनांक 05.04.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.06.2017 तक 17 वर्ष, 03 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 00 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनाँक 25.02.2000 को सायं 04.00 बजे लगभग बंदी ने बबिता नामक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 40 वर्ष 02 माह लगभग है शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने, बंदी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बंदी के शातिर किस्म का अपराधी होने, स्थानीय जनता एवं पीड़ित के परिवार/गवाह में भय/आतंक व्याप्त होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिशंकर ऊर्फ गंठा पुत्र मोहनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in